''''प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का आलोकचनात्मक अध्ययन''

डॉ० शैलेन्द्र प्रताप सिंह
एम०एस०सी०, एम०एड्०, पीएच०डी० (शिक्षा)

सारांश

शिक्षकों की कमी– परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की कमी के कारण से अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या बनी हुई है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम पाँच अध्यापक होने चाहिए ताकि सभी कक्षाओं में पहुँच सके, शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके तथा छात्रों का नामांकन एवं ठहराव शत्–प्रतिशत बना रहे।

पढ़ाई का न होना– यह कारण भी छात्रों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय छोड़ने पर बाध्य कर देता है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश सत्र भर चलता रहता है, जिससे शिक्षण कार्य में बाधा आती है, तथा अध्यापकों एवं छात्रों में सामंजस्य स्थापित करने में समस्या आती है।

नर्सरी शिक्षा के प्रति रूझान– इसका कारण यह है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण से विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पाती।

बालश्रम– प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में बालश्रम भी बाधक है। गरीब अभिभावकों के सामने रोटी का उद्‌देश्य प्राथमिक होता है, और शिक्षा का द्वितीयक। अधिकतर गरीब माता–पिता चाहते हैं।

प्राथमिक शिक्षा के प्रति जन समुदाय की मानसिकता– परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रति जनसमुदाय की मानसिकता बहुत ही निम्न है।

शब्द कुंजी

1. **अपव्यय**

   ''अपव्यय से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूर्ति के लिए पूर्व ही बालकों को पाठशाला की कक्षा से हटा लेना है।''

2. **अवरोधन**

   ''अवरोधन से हमारा तात्पर्य बालक को छोटी कक्षा में एक वर्ष से अधिक रोका जाता है।''

3. **प्राथमिक शिक्षा**

   परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा कक्षा–1 से 5 तक संचालित कक्षायें प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आती हैं।

1

1

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा द्वारा मनुष्य को सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया गया जाता है। शिक्षा ही जीवन की अमावश की पूनम में परिवर्तित करती है। शिक्षा का महत्व निर्विवाद है शिक्षा के महत्व को हितोपेदेश में इस प्रकार रेखांकित किया गया है–

माता शत्रुः पिता बैरी, येन बालो न पाठित।ः
सभामध्ये न शौभन्ते, हंसमध्ये बको यथा।।

"अर्थात् वह माता शत्रु है, और पिता बैरी है। जो अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखता है, क्योंकि वह बालक विद्वानों की सभी में उसी तरह शोभा नहीं पाता, जिस प्रकार हंसीं के बीच में बगुला शोभा प्राप्त नहीं करता है। जन्म के समय बच्चा बगुले के समान ही होता है, लेकिन माता, पिता एवं शिक्षक मिलकर उसे शिक्षा के द्वारा हंस बनाते है।"

शिक्षा का यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारम्भ हो जाता है, और मनुष्य संसार में जब तक रहता है, तब तक अनवरत प्रक्रिया में चलता रहता है। शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए सशक्त एवं महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा समाज के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से सम्बन्धित है। शिक्षा के द्वारा समाज के भूत का ज्ञान वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति और भविष्य का निर्माण किया जाता है। इस दृष्टि से शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया होती है। जिन समाजों में शिक्षा का आलोक नहीं फैला वे कूप–मण्डूक एवं अतीतजीवी बने रहे।

वर्तमन समय में शिक्षा अनौपचारिक परिधि से निकलकर औपचारिक परिधि तक आ पहुँची। शिक्षा द्वारा व्यक्ति सम्पूर्णता को प्राप्त करता है। देश एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप योग्य व्यक्ति बनता है। प्रार्थमिक शिक्षा की अभिप्रेरित शिक्षा माना जाता है।

प्राथमिक शिक्षा का विकास एक लम्बे काल से धुँधला प्रतीत हो रहा है। सभी को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा मिले यह सरकार का दायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–45 में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा की गयी है। लेकिन राज्य सरकारें आजादी के 59 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक पूर्ण रूप से निभा नहीं पाई है बल्कि कुछ हद तक इन्हीं प्रयासों का परिणाम है, कि साक्षर नागरिकों में वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 में 52.2 प्रतिशत साक्षर थे, लेकिन वर्ष 2001 में साक्षरों की कुल आबादी 65.38 प्रतिशत हो गयी है। देश के कुल निरक्षर लोगों की संख्या में कमी आयी है। अब तक निरक्षर लोगों के प्रतिशत में तो कमी आती थी, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ–साथ हर दशक में निरक्षरों की कुल संख्या बढ़ती ही जाती थी। संसद द्वारा 86वाँ संविधान अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का मौलिक अधिकार है और उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना न केवल सरकार की, वरन् माता–पिता और सरकार दोनों की सम्मिलित जिम्मेदारी है।

विभिन्न योजनाएं एवं क्रियान्वयन–अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में सरकार ने विभिन्न योजनाओं को बनाया है, जाकि सभी बच्चें अनिवार्य रूप से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा अर्जित कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अनुसार निरक्षरता दूर करने तथा शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाने की प्राथमिकता दी जा रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो बड़ी योजनाओं अनौपचारिक शिक्षा योजना तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारम्भ की गयी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में 1987–88 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारम्भ की गयी। यह योजना मूल रूप से प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम आवश्यक साधन एवं सुविधाओं की पूर्ति के लिए किया गया। जिसमें प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय मे कम दो कमरों का भवन (जिसमें लड़के लड़कियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था हो) बड़ा या बरामदा समूचा भवन (प्रत्येक मौसम के लिए) शिक्षण सामग्री, आवश्यक खिलौने,

3

खेल का सामान, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, एक शिक्षक वाले सभी विद्यालयों में दूसरा अध्यापक महिला शिक्षिका को रखने की प्राथमिकता तथा कुल मिलाकर न्यूनतम 22 वस्तुयें शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए आवश्यक संसाधन कराने की अनिवार्यता की गयी। इस योजना का शुभारम्भ 1987–88 से 1994–95 तक सभी विकास खण्डों में कर दी गई थी। इसके लिए भारत सरकार ने 1103.31 करोड़ रूपये की सहायता जारी किया था वर्ष 2002–03 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया ताकि इसका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से हो सके। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये सरकार ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत प्राथमिक अनुच्छेद–45 में अनिवार्य एवं निः शुल्क शिक्षा को नीति निर्देशक सिद्धान्त घोषित किया गया था। ''राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।'' संविधान का संशोधन 1976 में हुआ जिससे शिक्षा को राज्य सूची में से निकालकर समवर्ती सूची मे लाया गया। 93वां संविधान संशोधन विधेयक 2001 जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजना अभिभावकों का उत्तरदायित्व है।

पिछले पाँच दशकों में सरकार द्वारा सर्वसुलभ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो भी व्यवस्थायें निर्धारित की गयी अथवा नीतियाँ बनायी गयी, उसके क्रियान्वयन में अरबों–खरबों रूपये खर्च किये गये। जिसमें एडूसैट शैक्षिक उपग्रह (2004), सचल विद्यालय, चरवाहा विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय जैसे कुछ नवीन प्रयोगों और अनौपचारिक शिक्षा, आपरेशन ब्लैक बोर्ड तथा सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत सभी बच्चों को पका पकाया भोजन (मध्यान्ह भोजन योजना), निःशुल्क पुस्तक, मुक्त वस्त्र, कस्तूरबा गाँधी बालिका योजना, टाटपट्टी, छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है। ताकि नामांकन एवं ठहराव

शत्–प्रतिशत बना रहे लेकिन अभी तक उस अनुपात में परिणाम नजर नहीं आये, बल्कि इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि साक्षर नागरिकों में वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश में स्कूल चलों अभियान चलाया गया है। प्रदेश भर में जुलाई 2001 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के ऐसे सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराना, जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। वर्तमान समय में सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें ऐसे कितने बच्चें जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। प्रदेश भर में 300 आबादी वाले प्रत्येक गांव का 1.5 किलोमीटर को मानक मानते हुए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, सभी के लिए शिक्षा परियोजना नामक योजना, जिसमें बेसिक शिक्षा परियोजना तथा डी0पी0ई0पी0 का कार्यक्रम प्रमुख है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव को बनाये रखने के लिए मध्यान्ह भोजन योजना जो मीनू के अनुसार दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्र योजना भी संचालित की गई है। ताकि शिक्षकों की कमी से प्राथमिक विद्यालयों में अपव्यय एवं अवरोधन को रोका जा सके।

प्रदेश सरकार के इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि पिछले दो वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में 52 लाख बच्चे बैठे हैं, लेकिन फिर भी छात्रों का अत्यधिक संख्या में प्राथमिक विद्यालयों से अपव्यय एवं अवरोधन हो रहा है। प्रदेश सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कन्या विद्याधन योजना लागू की है, ताकि लड़कियों में अपव्यय एवं अवरोधन को रोका जा सके और उनका नामांकन एवं ठहराव शत प्रतिशत बना रहे।

अपव्यय एवं अवरोधन की वर्तमान स्थिति

विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन हो जाने के बावजूद भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में अपव्यय एवं अवरोधन एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। छात्र कक्षा में नामांकित हो जाने के बाद प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं से पलायन हो जाता है, छात्रों के ऊपर धन एवं समय इस आशय से खर्च किया जाता है ताकि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करेंगे, जब

5

प्राथमिक शिक्षा बिना अवरोध के पास नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हें तो उन पर किया खर्च लक्ष्य पूर्ति के अभाव में व्यर्थ हो जाता है यही अपव्यय है। परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा कक्षा–1 से 5 तक संचालित कक्षायें प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आती हैं। सन् 1929 में सर्वप्रथम हर्टाग समिति ने अपव्यय की परिभाषा देते हुए "अपव्यय से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूर्ति के लिए पूर्व ही बालकों को पाठशाला की कक्षा से हटा लेना है।"

अवरोधन– अवरोधन का साधारण अर्थ स्थिरता है। निश्चित अवधि के अन्दर जो छात्र असफल होते हैं, और अधिक समय लगा देते हैं, तो उनकी अध्ययन में किसी न किसी स्तर पर स्थिरता आ जाती है, सन् 1929 में हर्टाग समिति ने कहा कि– "अवरोधन से हमारा तात्पर्य बालक को छोटी कक्षा में एक वर्ष से अधिक रोका जाता है।"

प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन को समाप्त करने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, जिसका उद्देश्य–2003 तक सभी बच्चों का नामांकन, 2007 तक सभी बच्चे कक्षा–5 तथा 2010 तक कक्षा–8 के सभी बच्चे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पूरी कर लें। अभी कुछ समय पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बताया है कि "बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई तो भुगतेंगे माँ–बाप" नामक शीर्षक जो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री एफ0ए0 फातमी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल में यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार सभी को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिन उपायों पर विचार कर रही है, उनमें एक अधूरी शिक्षा छोड़ देने वाले बच्चों के अभिभावकों के दण्ड का प्रावधान करना भी शामिल है, उन्होंने बताया कि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। "फातमी ने 2002–03 के शैक्षिक सत्र के आंकड़ों का हवाला दिया जो निम्नलिखित है–

शैक्षिक सत्र में छूटी पढ़ाई 2002–03

कक्षा	लड़के	लड़कियाँ
1 से 8 तक	52 प्रतिशत	53 प्रतिशत
1 से 5 तक	35 प्रतिशत	33 प्रतिशत

फातमी ने शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बालिका कार्यक्रम तथा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय शुरू किये हैं।'' ''भारत सरकार की वर्ष 2005–06 के वार्षिक रिपोर्ट आयी है, जिसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में घटोत्तरी हो रही है। एक मार्च 2003 में जहाँ स्कूल से बाहर जाने वाले बच्चों की संख्या–2.49 करोड़ थी, वही मार्च 2005 में 1.35 करोड़ रह गयी।

असर सर्वेक्षण (ASER ANNUAL STATE OF EDUCATION REPORT)-

असर सर्वेक्षण 2022–23 के अनुसार इस वर्श सरकारी स्कूलों में नामांकन की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर बच्चों की पढ़ने की क्षमता में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 के बाद सरकारी स्कूलों में नामांकन में काफी वृद्धि हुई है। इस सर्वेक्षण में शामिल 72.9% छात्र सरकारी विद्यालयों में पढ़त हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 2008 में राष्ट्रीय स्तर पर 15–16 आयु वर्ग की 20% से अधिक लड़कियों को स्कूलों मे नामांकित नही किया गया था।2018 में यह आंकड़ा घटकर 13.5% तथा 2022 में यह आंकड़ा 7.9% पर आ गया है।

देश के 581 जिला शिक्षा सूचना केन्द्रों की सूचनाओं पर आधारित नीपा की रिपोर्ट से पता चला है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय का प्रतिशत कम हो रहा है। कक्षा–1 से 5 तक दाखिला लेने वाले बच्चों में दस प्रतिशत से अधिक अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ रहे हैं, पूर्व में यही आँकड़ा 11 प्रतिशत से अधिक था, उ0प्र0 में 3 प्रतिशत से भी कम बच्चों को एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ना पड़ता है। यहाँ सरकार ने उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की है। ताकि बच्चों की कमजोरियों का निदान किया जा सकें और उन्हें आगे की कक्षाओं में भेजा जा सके।

7

सरकार द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न व्यवस्थाओं के संचालन के बावजूद भी बच्चों के नामांकन एवं ठहराव की समस्या बनी हुई है। जिसमें सरकार शिक्षा परियोजना के तहत 2500 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। आगे 3600 करोड़ रूपये खर्च किये जाने है लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे पता चलता है कि बिहार के बाद उ0प्र0 ऐसा राज्य, जहाँ 6 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। स्कूलों से बच्चों की दूरी क्यों नहीं खत्म हो रही है? ताकि बच्चों के नामांकन एवं ठहराव को शत्–प्रतिशत बनाया जा सके, और अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को समाप्त किया जा सके।

अपव्यय एवं अवरोधन के प्रमुख कारण तथा सुझाव–

शिक्षकों की कमी– परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की कमी के कारण से अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या बनी हुई है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम पाँच अध्यापक होने चाहिए ताकि सभी कक्षाओं में पहुँच सके, शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके तथा छात्रों का नामांकन एवं ठहराव शत्–प्रतिशत बना रहे। बी0एड्0 बेरोजगार इतनी ज्यादा संख्या में पड़े हुए कि इनकी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर कर दी जाए तो यह समस्या लगभग हल हो जाएगी और बेरोजगारों को रोजगार मिल जायेगा। प्राथमिक शिक्षा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आयेगा।

पढ़ाई का न होना– यह कारण भी छात्रों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय छोड़ने पर बाध्य कर देता है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश सत्र भर चलता रहता है, जिससे शिक्षण कार्य में बाधा आती है, तथा अध्यापकों एवं छात्रों में सामंजस्य स्थापित करने में समस्या आती है। यदि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की कमी को पूर्ण कर लिया जाए तो विद्यालय में पढ़ाई की समस्या स्वतः हल हो जायेगी। छात्रों तथा अभिभावकों का प्राथमिक शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ेगा, छात्रों का नामांकन एवं ठहराव बना रहेगा। सभी अध्यापकों को चाहिए की

अपनी कक्षाओं में समय से पहुँचे और रूचिपूर्ण शिक्षण कार्य करें। छात्रों का प्रवेश एक निश्चित समय तक किया जाए।

नर्सरी शिक्षा के प्रति रूझान– इसका कारण यह है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण से विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पाती जिसमें अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों की परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से निकालकर पास के किसी नर्सरी स्कूल में भेज देते हैं, जहाँ अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है। इन नर्सरी स्कूलों में अभिभावकों को अधिक से अधिक धन खर्च करना पड़ता है, ऐसे अभिभावकों के बच्चें कुछ समय बाद पुनः पास के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में आ जाते हैं। सत्र भर छात्रों के बार–बार आने जाने से एक ही कक्षा में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। छात्रों पर खर्च किया गया धन बर्बाद हो जाता है। सरकार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के पलायन को रोकने के लिए बीच–बीच में मानीटरिंग कराये कि जुलाई में जितने बच्चों ने नामांकन कराया अप्रैल में उतने बच्चे हैं या नहीं? यदि अपव्यय हो रहा है तो उसे रोकना होगा ताकि बच्चों का नामांकन एवं ठहराव शत्–प्रतिशत सत्र भर बना रहे।

परदेश गमन (माता–पिता)– गरीब माँ–बाप अंशकालीन मजदूरी करने के लिए अपने परिवार सहित परदेश चले जाते हैं जहाँ पर माँ–बाप के अलावा छोटे बच्चे भी जोखिम भरे कार्य करते हैं और बच्चों का पलायन प्राथमिक विद्यालयों से हो जाता है। सरकार ने गरीब बच्चों के पलायन को रोकने के लिए छात्रवृत्ति एवं विभिन्न प्रकार की निःशुल्क व्यवस्था की है। ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनके लिए अंशकालिक शिक्षा व्यवस्था की जाय ताकि अगली कक्षाओं में प्रवेश पा सके। इसे पल्स पोलियो की तरह से अभियान चलाया जाए ताकि एक भी 6 से 14 आयु वर्ग बच्चा प्राथमिक शिक्षा से दूर न हो पाये।

पारिवारिक या घरेलू कार्य– छात्रों में अपव्यय एवं अवरोधन की दर पारिवारिक या घरेलू कार्यों से अधिक है। माता पिता गाँव–गाँव और घर–घर मजदूरी के लिए जाते हैं, तब गृहस्थी का कार्य इन छोटे बच्चों के कन्धों पर होता है जिन

9

अभिभावकों के बच्चे बड़े होते हैं अपने साथ मजदूरी के लिए लेकर चले जाते हैं। लड़कियाँ घर अपने–अपने छोटे भाई–बहन की देखरेख करती है। बच्चे समय से और प्रतिदिन स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ समय बाद ऐसे बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों से पलायन हो जाता है। छात्रों के पलायन को रोकने के लिए अभिभावक को शिक्षा के महत्व एवं उपयोग को बताया जाए। जो अभिभावक स्कूल नहीं भेज पाते है उनके लिए दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे प्रतिदिन समय से स्कूल पहुँच सके।

बालश्रम– प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में बालश्रम भी बाधक है। गरीब अभिभावकों के सामने रोटी का उद्देश्य प्राथमिक होता है, और शिक्षा का द्वितीयक। अधिकतर गरीब माता–पिता चाहते हैं कि लड़के हो या लड़कियाँ कुछ न कुछ कमाकर लाये और परिवार की आय में योगदान करें। परिवार की आय में उन बच्चों की आय का योगदान बहुत अधिक नहीं पोता तथापि दो जून की रोटी की व्यवस्था में बहुत मायने रखता है। इस प्रकार का योगदान वे शिक्षा का परित्याग करके ही कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने बालश्रम पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है, और बच्चों के लिए दोपहर का भोजन कार्यक्रम चलाया है, ताकि बच्चों के ऊपर अभिभावक का दबाव न रहें और विद्यालय में रूके रहे।

प्राथमिक शिक्षा के प्रति जन समुदाय की मानसिकता– परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रति जनसमुदाय की मानसिकता बहुत ही निम्न है। अल्पव्यय अभिभावक भी अपने बच्चों को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते हैं। अशिक्षित एवं गरीब अभिभावक के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित होते हैं। अल्पव्यय अभिभावक अपने बच्चों को नर्सरी विद्यालयों में भेज रहे हैं, जहाँ सरकार ने किसी भी प्रकार की सुविधायें प्रदान नहीं की हैं। सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क व्यवस्था इस आशय से दिया जा रहा है, ताकि तभी बच्चों का नामांकन एवं ठहराव शत प्रतिशत बना रहे। परिषदीय प्राथमिक शिक्षा को इतना उत्तम बनाया जाए कि जनसमुदाय में प्राथमिक शिक्षा के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव आये।

10

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. दैनिक जागरण : 17 जुलाई 2006 लखनऊ संस्करण प्रथम पृष्ठ संजय गुप्ता।
2. 6 अगस्त 206 इलाहाबाद संस्करण।
3. कुरूक्षेत्र : अंक 11 वर्ष 2006 ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली।
4. व्यावसायिक अर्थशास्त्र : डॉ0 पी0सी0 अग्रवाल साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 1998
5. विभिन्न पंचवर्षीय योजनायें : योजना आयोग भारत सरकार।
6. मोहन संजय : उ0प्र0 की शिक्षा सांख्यिकी, राज्य शिक्षा संस्थान उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. प्लायके जे0 : मिशन रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम
8. बेनेर कोलमान : टाइम्स आफ इंडिया, लखनऊ संस्करण 23 दिसम्बर 2004।
9. भारत सरकार : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नई दिल्ली।
10. भारत सरकार : भारत सरकार की शिक्षा वर्ष पर 2005–06 की वार्षिक रिपोर्ट
11. एन0सी0ई0आर0टी0 : आल इण्डिया एजूकेशन सर्वे (फोर्थ एण्ड फिफ्थ) एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली, 1992।
12. उ0प्र0 सरकार : शिक्षा वार्षिकी, 2004 तथा 2005

11

11